

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग_{-3,} खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 2023 श्रावण 26, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश (संसदीय अनुभाग)

संख्या 1336 / वि०स० / संसदीय / 91(सं)-2023 लखनऊ, 8 अगस्त, 2023

> अधिसूचना **प्रकीर्ण**

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन), विधेयक, 2023 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 8 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन), विधेयक, 2023 उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज, अधिनियम, 2020 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज संक्षिप नाम और (संशोधन), अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।
 - (2) यह दिनांक 10 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2020 का सामान्य संशोधन 2—उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज, अधिनियम, 2020 में, शीर्षकों, उद्देशिका, संक्षिप्त नाम, दीर्घ नाम सहित शब्द 'उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज' जहां कही आये हों, के स्थान पर शब्द "डा० राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज' रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति 3—(1) उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन), अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

विधि के क्षेत्र में विद्या, अध्यापन एवं अनुसन्धान का सम्वर्द्धन करने और उसमें ज्ञान का प्रसार करने तथा वकालत, न्यायिक सेवा करने के इच्छुक व्यक्तियों, विधायी आलेखन को अपना व्यवसाय बनाने वाले विधि अधिकारियों / प्रबंधकों की वृत्तिक कौशलों को विकसित कर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज नामक एक राज्य विधि विश्वविद्यालय की स्थापना तथा उसका निगमन करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिये उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज, अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन 2020) अधिनियमित किया गया है ।

पूर्वोक्त विश्वविद्यालय का नाम देश के प्रथम राष्ट्रपति डाँ० राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर किये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज का नाम परिवर्तित कर ''डाँ० राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज'' किये जाने हेत् पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन), अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ मुख्य मंत्री।

आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1041/XC-1014(003)-12-2023 Dated Lucknow, August 17, 2023

NOTIFICATION MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Rashtreeya Vidhi Vishwavidyalaya, Pryagraj (Sanshodhan), Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 8, 2023.

THE UTTAR PRADESH NATIONAL LAW UNIVERSITY, PRAYAGRAJ (AMENDMENT), BILL, 2023

Α

BILL

further to amend the Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj Act, 2020.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as followes :-

- Short title and 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh National Law University, commencement Prayagraj (Amendment), Act, 2023.
 - (2) It shall be deemed to have come into force with effect from July 10, 2023.
- 2. In the Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj Act, 2020, for General the words "Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj", wherever occurring including the headings, preamble, short title, long title, the words "Dr. Rajendra Prasad of 2020 National Law University, Prayagraj" shall be substituted.

Amendment of

Repeal and saving

- 3. (1) The Uttar Pradesh National Law University, U.P. ordinance no. 11 of 2023 Prayagraj (Amendment), Ordinance, 2023 is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act, were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj Act, 2020 (U.P. Act no. 26 of 2020) has been enacted to provide for the establishment and incorporation of a State Law University at Prayagraj in Uttar Pradesh to be known as the Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj, for the purposes of advancement of cause of learning, teaching and research, and diffusion of knowledge in the field of law and also to cater to the needs of the society by developing professional skills of persons intending to take up advocacy, judicial service, law officers/managers and legislative drafting as their profession and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to name the aforesaid University after the country's first President, Dr. Rajendra Prasad, it was decided to amend the aforesaid Act to change the name of Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj to "Dr. Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj."

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj (Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 11 of 2023) was promulgated by the Governor on July 10, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGI ADITYANATH *Mukhya Mantri*.

By order, J. P. SINGH-II, Pramukh Sachiv.